राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	3409 / 2023 भागीरथ सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर।	21.12.2023	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	3410 / 2023 रामनिवास			

आदेश की दिनांक : 22.12.2023

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3409 / 2023 भागीरथ सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का बकाया वेतन एवं भत्ते का भुगतान मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 1985 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 06.11.1985 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Budhwali, जिला चूरू पदस्थापित किया गया तथा दिनांक 30.06.2023 को अपीलार्थी अधिवार्षिक आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया और जबकि अपीलार्थी 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हुआ और इस प्रकार अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दी जानी चाहिए थी, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2019 एवं नियम 2008 के नियम 10 के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी नियमानुसार उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अर्जुन लाल जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12198/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 में इस प्रकार उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जाना अनुचित माना है। अतः अपीलार्थी भी उक्त नियमों एवं विधि के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का बकाया वेतन एवं भत्ते का भुगतान मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रारंभिक नियुक्ति क्रमशः वर्ष 1985 एवं वर्ष 1987 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई थी और उन्हें आदेश दिनांक 06.11.1985 एवं दिनांक 05.01.1987 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Budhwali, जिला चूरू तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पेवा, सीकर पदस्थापित किया गया तथा दिनांक

30.06.2023 को अपीलार्थीगण अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गये। अपीलार्थीगण को सेवा पुस्तिका के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थीगण दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण दिनांक 30.06.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस प्रकार अपीलार्थीगण की अंतिम एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थीगण भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थीगण संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का

लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3409/2023 भागीरथ सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3410/2023 रामनिवास में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)